29.12.25

पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद परिवाद खारिज किया जाता है। विस्तृत रिपोर्ट अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। रिकॉर्ड पत्रावली कंप्यूटर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2017/00353

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– भरत जयप्रकाश मीना (आई ए.एस.)

प्रकरण सं.– 53 / 2017 GCMS:-2017/00353 दायरा दिनाकः– 20.03.2017

1 मोहनलाल पुत्र श्री रामरख जाति जाट बिश्नोई निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

2 विजय कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान। –वादीगण

बनाम

1. श्री राजाराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. श्रीमान् तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग गंगनहर, ओ एण्ड डी खण्ड –6, सीएडी विभाग सूरतगढ

– प्रतिवादीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

दावा घोषणात्मक एवं शाश्वत निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति हेतु।
अर्न्तगत धारा 88–92ए–188–209 आरटीए 1955

उपस्थित :– 1. श्री धनववीर सिंह हुन्दल अधिवक्ता–वादी
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता – **प्रतिवादीगण**
3. **तहसीलदार पैराकार राज सरकार की ओर से**

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 29.12.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के नाम से चक 18 एलजीडब्ल्यू–'बी' के खाता नं. 50 / 49 के पत्थर नं0 18 / 296(7) के किला नं0 2 ता 9, 13 / 2 ता 15 में 11.00 बीघा तादादी 2.685 हैक. व पत्थर नं0 19 / 297(7) के किला नं0 1,10 में 2.00 बीघा तादादी 0.506 हैक. व पत्थर नं0 18 / 298(21) के किला नं0 1 / 1, 10 / 2, 11 / 1, 16 ता 25 में 13.00 बीघा तादादी 2.910 हैक. कुल 26 बीघा तादादी 6.101 हैक. नहरी बारानी मय खाला–रास्ता में वादी नं0 01 के नाम 5.487 हैक. व वादी नं0 02 के नाम 1.459 हैक. रकबा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है तथा पत्थर नं0 18 / 298(21) के किला नं0 1 / 1, 10 / 2, 11 / 1, 16 ता 25 के खातेदार रकबा को सिंचाई सुविधा हेतु चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. के पत्थर नं0 19 / 297 के किला नं0 5–6–15–16–25 में उतर से दक्षिण दिशा पासा पश्चिम की ओर कच्चा खाला के द्वारा प्रतिवादी नं0 03 द्वारा [illegible] सुविधा प्रदान की हुई है। जो प्रतिवादी नं0 02 के राजस्व रिकॉर्ड मे भी दर्ज [illegible] 2027 से 2030 की प्रमाणित प्रति से साबित है। वादी[illegible] खातेदारी रकबा में सिंचाई सुविधा लेते है तथा फसली फायदा उठाते है तथा इसकी पुष्टि मे अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संरक्षण संगम बी.के. 58 हनुमानगढ द्वारा प्रमाणित सिंचाई सुविधा नक्शे की चित्र प्रति से साबित है तथा मौका पर कच्चा खाला से ही सिंचाई सुविधा प्राप्त करते है। जिसकी पुष्टि जल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 3.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपभोक्ता संरक्षण संगम बी.के. 58 हनुमानगढ द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.01.2017 प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सम्पर्क राजस्थान सरकार में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसके रजि0 नं0 02171152122048 दिनांक 03.02.2017 स्वीकृति दिनांक 22.02.2017 से भी प्रमाणित है। इन सभी दस्तावेजो से पूर्णतया साबित होता है कि वादीगण की चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.–बी के पत्थर नं0 18/298 के 13.00 बीघा रकबा भूमि की वर्तमान में सिंचाई सुविधा, पत्थर नं0 19/297 के किला नं0 5–6–15–16–25 में बने कच्चे खाले से हो रही है। प्रतिवादी नं0 01 बहुत ही चतुर व प्रभावशाली एवं समृद्धशाली व्यक्ति है, उसने इस चक के पत्थर नं0 19/297 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में से 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा तादादी 0.127 हैक. मंजूरशुदा खाला की स्वीकृति भूमि को राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर बिना सक्षम अधिकारी के आदेशो के खाला का रकबा अपने नाम खातेदार दर्ज करवाया है उक्त रकबा 0.127 हैक. रकबा गैर मुमकिन खाला राज्य सरकार की भूमि को किसी प्रकार से कोई आवंटन नही करवाई गई व कीमत भी जमा करवाये बिना एवं सक्षम अधिकारी के आदेश बिना स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना अवैध कार्यवाही है। उक्त रकबा में आज भी खाला चल रहा है। अतः वादीगण वाद के माध्यम से पत्थर नं0 19/297 के किला नं0 5–6–15–16–25 उतर से दक्षिण दिशा में चल रहे स्वीकृत खाला की भूमि 0.127 हैक. भूमि को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074 तथा अन्य सभी राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन खाला की भूमि दर्ज करवाने के वादी हकदार है। जिसमें वादीगण का 13.00 बीघा रकबा काश्त हो रहा है। सी.ए.डी. विभाग द्वारा खालो को पक्का किया जाने का कार्य चल रहा है। वादी ने चक 18 एल.जी.डब्ल्यू–बी के प0नं0 19/297 के किला नं0 5–6–15–16–25 के कच्चे खाला का पक्का करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी नं0 01 ता 03 स्पष्ट इन्कार कर दिया व बताया कि उक्त रकबा खाला के नाम दर्ज नही है तथा इस खाला को बन्द करने की धमकी दी तो इसी कारण यह दावा पेश करना पडा है वादी की अपनी खातेदारी रकबा प0नं0 18/298 में फसल हाडी गेहूँ की फसल खडी है। प्रतिवादी प0नं0 19/297 के किला नं0 5–6–15–16–25 मे से चालू खाला को बन्द करने की धमकी दे रहा है। यदि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। कृषि योग्य भूमि को सिंचित/असिंचित घोषित करने की कार्यवाही राजस्व सम्बन्धि कार्यवाही है वादीगण के सिंचित भूमि में मिल रही सिंचाई सुविधा वादीगण को सिंचित भूमि में मिल रही है। सिंचाई सुविधा को घोषणात्मक डिक्री के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में पुनः दर्ज करवाने हेतु चल रही सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी हकदार है व वाद कारण उत्पन्न होने के अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर वादीगण ने यह दावा पेश कर निवेदन किया है कि चक 18 एल.जी.डब्ल्यू. (बी) के प0नं0 19/297 के किला नं0 5, 6, 15, 16 व 25 के 0.127 हैक. रकबा में उतर से दक्षिण दिशा की ओर चल रहे कच्चा खाला जिसमें वादीगण को 13.00 बीघा रकबा मे सिंचाई सुविधा मिल रही है। यह रकबा गैर मुमकिन खाला की [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत खाला के नाम से दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री [illegible] तथा यह रकबा प्रतिवादी नं0 01 राजाराम के नाम से हटाया जावे व यह रकबा खाला के नाम दर्ज किया जावे तथा इस रकबा में प्रतिवादी किसी तरह की [illegible] व्यवधान उत्पन्न न करे तथा पत्थर नं0 19/297 के किला नं0 5–6–15–16–25 के 0.127 हैक. अर्थात् 0.10 बिस्वा भूमि मे

लगातार पेज न 4......पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

उतर से दक्षिण दिशा की ओर चल रहे कच्चे खाले को वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2017 स्वीकृति दिनांक 22.02.2017 के आधार पर पक्के खाले का निर्माण किया जावे तथा वादीगण के नाम की पं0 नं0 18/298 के किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 16 ता 25 की कुल 13.00 बीघा भूमि बारानी के स्थान कमाण्ड भूमि दर्ज की जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 03 ने उपरिस्थित होकर वादीगण के वाद के तथ्य को इंकार करते हुए जवाबदावा पेश कर निवेदन किया है कि राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम 1954 के अनुसार माननीय न्यायालय को हस्तगत वाद के श्रवणाधिकार से वर्जित किया गया तथा वादीगण के तथ्यो का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वादीगण के मु.प0नं0 18/298 में स्थित उनकी कृषि भूमि की सिंचाई के लिए स्वेच्छा सें मु.प0नं0 19/297 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में से अनाधिकृत रूप से बनाये गये कच्चे खाले का इन्द्राज पूर्व की जमाबन्दी में दर्ज होने को वाद का आधार बनाकर पक्का खाला निर्माण की मांग की गई है जबकि खाला स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन सीएडी–II हनुमानगढ को है तथा उनके कार्यालय अभिलेखानुसार वादीगणों के मु.प0नं0 18/298 की सिंचाई के लिए मु.पं0नं0 19/297 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 मे से कोई खाला स्वीकृत नही है बल्कि मु.प.नं. 19/298 के किला न 1 ता 5 में से खाला नियमानुसार स्वीकृत किया हुआ है जो सीएडी विभाग द्वारा नियमानुसार पक्का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है तथा बिन्दुवार जवाब देते हुए निवेदन किया है कि वर्तमान में सी.ए.डी. विभाग द्वारा इस चक में पक्का खाला का निर्माण करवाया जा रहा है व कार्यालय अभिलेखानुसार प0नं0 18/298 के सिंचित रकबा के लिए पं0नं0 19/298 के किला नं0 01 ता 05 में खाला स्वीकृत है जिसका नाका पं0 नं0 18/298 के किला नं0 01 में नाका स्वीकृत है। इसीलिए वाद वादीगण खारिज करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी नं0 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में इस चक रकबा एक ही मोगे से सिंचित होता था। सन् 1972 के पश्चात् इस एक चक 18 एल.जी.डब्लयू.–ए व चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.–बी इस प्रकार दो मोगे हो गये तथा वादी का रकबा चक 18 एल.जी.डब्ल्यू.–बी से सिंचित होता है तथा मोगा का स्थान परिवर्तन होने से सन् 1972 में प्रतिवादी नं0 01 ने पत्थर नं0 19/297 के किला नं0 01 ता 05 मे से खाला दे दिया था व पं0नं0 19/298 के काश्तकारो ने वादी को किला नं0 01 ता 05 मे से खाला दे दिया था, इस प्रकार वादी पिछले 48–50 वर्षो से पत्थर नं0 19/298 के किला नं0 01 ता 05 मे बने कच्चे खाले से अपनी सिंचाई करता आ रहा है। वादी के रकबा को प0नं0 19/298 के किला नं0 01 ता 05 मे से खाला लगता है जिसे वादी पक्का खाला बनवा सकता है। वादी अपने रकबे की पानी की बारी पीछे मोगे के पास पं0 नं0 18/296 में लगाता है वादी अब पुराने एक ही मोगे के समय स्वीकृत खाला पुनः नये मोगे पर दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादी का [illegible] पहले पुराने मोगे के समय भी खातेदारी था। खातेदारी मे से ही खाला अब [illegible] पूर्व मे खाला किला नं0 5–6–15–16–25 में से जो मोगा 4 मुरब्बे दूर लगने से प्रतिवादी नं0 01 के रकबा मे यह खाला किला नं0 01 ता 05 मे से दे दिया। इसलिए मोगे का स्थान परिवर्तित हो गया। तथा खाला मंजूर करना, निरस्त करना, सिंचाई विभाग का क्षेत्राधिकार है। श्रीमान् न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होने से वाद वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात बनाई गई जो इस प्रकार से है :–

लगातार पेज न 5......पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 53/17

अनवान :– मोहनलाल बनाम राजाराम आदि

1. आया चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में 0.127 हैक. यानि 0.10 बिस्वा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा कच्चा खाला जिससे वादीगण की 13.00 बीघा भूमि सिचिंत हो रही है, को राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत खाला के नाम से गै0मु0 खाला दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है? –वादीगण

2. आया जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074 चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 की 0.127 हैक. यानि 0.10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं0 01 राजाराम के नाम से खातेदारी से कलमजन कर गै0मु0 खाला दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है? –वादीगण

3. आया जैरवाद भूमि को गै0मु0 खाला दर्ज करवाकर वादीगण की खातेदारी भूमि चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 की 13.00 बीधा में चल रही सिंचाई सुविधा का कच्चा खाला में प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में 0.127 हैक. यानि 0.10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी नं0 01 राजाराम किसी प्रकार का व्यवधान न करें, की घोषणा करवाने का अधिकारी है? –वादीगण

4. आया की चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 (21) किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 16 ता 25 की 13.00 बीघा तादादी 2.910 हैक. भूमि को बारानी के स्थान पर कमाण्ड दर्ज करवाने का अधिकारी है? –वादीगण

5. आया की वादीगण की खातेदारी भूमि चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 में स्थित सिंचित भूमि की सिंचाई के लिए प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में सिंचाई विभाग द्वारा खाला स्वीकृत नही होने से वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है? –प्रतिवादी 3

6. आया की वादीगण की खातेदारी भूमि चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 में स्थित सिंचित भूमि की सिंचाई के लिए प.नं. 19/298 किला नं. 01 ता 05 में पत्थर लाईन पर सिंचाई विभाग द्वारा नियमानुसार खाला स्वीकृत नही होने से वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है? –प्रतिवादी 3

7. अन्य अनुतोष

8. आया चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में प्रत्येक में उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे स्वीकृत खाला की भूमि 0.127 हैक. भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 खाला दर्ज करवाने का हकदार है? –वादीगण

9. आया वादी चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 (21) किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 16 ता 25 की तादादी 2.910 हैक. भूमि को सी.ए.डी. विभाग के रिकॉर्ड अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे कमाण्ड दर्ज करवाने का हकदार है? –वादीगण

10. आया वादी प्रतिवादी के खिलाफ खाला की भूमि 0.127 हैक. में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें, स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है? –वादीगण

तनकीयात बनाई जाने के पश्चात पत्रावली ... हेतु रखी गई इसी दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 01 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये। प्रतिवादी नं0 01 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया व जवाब स्टेट बंद किया जाकर निम्न से 03 तनकीयात और बनाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 6.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1. **तनकी नं0 08** :– आया चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में प्रत्येक में उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे स्वीकृत खाला की भूमि 0.127 हैक. भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 खाला दर्ज करवाने का हकदार है?
–वादीगण
2. **तनकी नं0 09** :– आया वादी चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 (21) किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 16 ता 25 की तादादी 2.910 हैक. भूमि को सी.ए.डी. विभाग के रिकॉर्ड अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे कमाण्ड दर्ज करवाने का हकदार है?
–वादीगण
3. **तनकी नं0 10** :– आया वादी प्रतिवादी के खिलाफ खाला की भूमि 0.127 हैक. में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें, स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है?
–वादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तनकीयात कायम की जाने के पश्चात् पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गई। पत्रावली मे अनेको साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिये जाने के पश्चात् वादी नं0 01 ने साक्ष्य वादी के रूप में पीडब्ल्यू–01 स्वयं मोहनलाल का शपथ–पत्र पेश किया गया। जिसकी जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। अन्य कोई भी साक्ष्यवादी नही किये जाने से साक्ष्यवादी बंद किये गये व साक्ष्य प्रतिवादी मे भी काफी अवसर दिये गये फिर भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने की वजह से साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली मे निम्नानुसार तनकीवार निर्णय किया जाता है:– तनकी नं0 01, तनकी नं0 08 व तनकी नं0 09 समान होने से इन तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जाता है।

तनकी नं0 01 :– आया चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में 0.127 हैक. यानि 0.10 बिस्वा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा कच्चा खाला जिससे वादीगण की 13.00 बीघा भूमि सिचिंत हो रही है, को राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत खाला के नाम से गै0मु0 खाला दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है?
–वादीगण

तनकी नं0 08 :– आया चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में प्रत्येक में उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे स्वीकृत खाला की भूमि 0.127 हैक. भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 खाला दर्ज करवाने का हकदार है?
–वादीगण

तनकी नं0 09 :– आया वादी चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 (21) किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 16 ता 25 की तादादी 2.910 हैक. भूमि को सी.ए.डी. विभाग के रिकॉर्ड अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे कमाण्ड दर्ज करवाने का हकदार है?
–वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तीनो तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर है वादी ने वाद पत्र में निवेदन किया है कि प0नं0 19/297 के किला नं. 5–6–15–16–25 में 0.127 हैक. यानि 0.10 बिस्वा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा कच्चा खाला जिससे वादी की 13.00 बीघा भूमि सिंचित हो रही है, को राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत खाला के नाम से गैरमुमकिन खाला दर्ज करवाने की घोषणा चाही है, परन्तु इन किलो मे से सिंचाई

लगातार पेज न 7......पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक खाला कतई स्वीकृत नही है। खाला स्वीकृत करना या न करना सिंचाई विभाग के अधीन ही है। इस न्यायालय को खाला स्वीकृत करने का या निरस्त करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ने एक पत्थर नम्बर के किलो को किस प्रकार से आड व खाला दिया जायेगा, इस प्रकार का निर्धारण सिर्फ अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग को क्षेत्राधिकार दे रखा है तथा जैर प्रकरण रकबा का खाला स्वीकृत करने व निरस्त करने का अधिकार अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन सीएलडी–II हनुमानगढ को है। इसलिए जब तक सिंचाई विभाग से खाला स्वीकृत नही हो जाता तब तक राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व विभाग को खाला दर्ज करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो, के बाबत् कोई भी नियम या कानूनी नजीर वादी ने पेश नही की। राजस्व विभाग से या इस न्यायालय से खाला की घोषणा कतई नही की जा सकती। सिंचाई विभाग से खाला स्वीकृत होने के पश्चात् ही राजस्व रिकॉर्ड में सिंचाई विभाग के निर्णयो अनुसार अमलदरामद किया जा सकता है। इसलिए इस तनकी को वादीगण साबित नही कर पाये है, इसलिए इन तीनो तनकीयात का निर्णय खिलाफ वादी किया जाता है।

<u>तनकी नं0 02 :–</u> आया जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 2074 चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प. नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 की 0.127 हैक. यानि 0.10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं0 01 राजाराम के नाम से खातेदारी से कलमजन कर गै0मु0 खाला दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है? –वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो कि चक 18 एलजीडब्ल्यू–बी के पत्थर नं0 19/297 के किला नं0 5–6–15–16–25 में 0.127 हैक. रकबा में खाला स्वीकृत हो तथा तनकी नं0 01 का निर्णय भी खिलाफ वादी किया जा चुका है। इस तनकी को भी वादीगण साबित नही कर पाये है, इसलिए तनकी का भी निर्णय खिलाफ वादीगण किया जाता है।

<u>तनकी नं0 03. :–</u> आया जैरवाद भूमि को गै0मु0 खाला दर्ज करवाकर वादीगण की खातेदारी भूमि चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 की 13.00 बीधा में चल रही सिंचाई सुविधा का कच्चा खाला में प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में 0.127 हैक. यानि 0.10 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी नं0 01 राजाराम किसी प्रकार का व्यवधान न करें, की घोषणा करवाने का अधिकारी है? –वादीगण

<u>तनकी नं0 10</u> :– आया वादी प्रतिवादी के खिलाफ खाला की भूमि 0.127 हैक. में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें, स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार है? –वादीगण

इन दोनो तनकीयात में समानता होने से इन दोनो तनकीयातो का निर्णय एक साथ किया जाता है। चक 18 एलजीडब्ल्यू–बी के प0नं0 19/297 के किला नं0 5–6–15–16–25 में 0.127 हैक. रकबा में प्रतिवादी नं0 01 राजाराम किसी भी प्रकार का व्यवधान न करने की घोषणा वादीगण ने चाही है। दावा में प्रस्तुत प्रतिवादी नं0 01 के नाम की जमाबंदी प0नं0 19/297 के किला [illegible] प्रतिवादी नं0 01 के नाम 0.190 हैक. रकबा नहरी दर्ज है व 0.025 हैक. रकबा [illegible] के नाम है व 0.038 हैक. रकबा रास्ता के नाम है व किला [illegible] रकबा प्रतिवादी नं0 01 के नाम से खातेदारी है। इससे यह साबित हो [illegible] है कि खाला किला नं0 01 ता 05 मे से चल रहा है तथा किला नं0 05 का 0.190 हैक. व किला नं0 06–15–16–25 के सालम रकबा का प्रतिवादी नं0 01 खातेदार काश्तकार है। इसलिए खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 8......पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

काश्तकार को उसके खातेदारी रकबा के अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता, वो अपने खातेदारी रकबा का मनचाहा उपयोग कर सकता है। इसलिए इन दोनो तनकीयातो का निर्णय खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी नं0 04.:– आया की चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 (21) किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 16 ता 25 की 13.00 बीघा तादादी 2.910 हैक. भूमि को बारानी के स्थान पर कमाण्ड दर्ज करवाने का अधिकारी है? –वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, वादीगण ने सिंचाई विभाग से कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त रकबा वादी के नाम से कमाण्ड हो चुका है तथा वादीगण ने उक्त रकबा के कमाण्ड हो जाने के पश्चात् इस रकबा के बारानी से नहरी हो जाने पर किश्तो की अंतर राशि जमा करवा दी गई हो, के बाबत् कोई साक्ष्य् प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए वादीगण इस रकबा की अन्तर राशी जमा करवाये बगैर इस रकबा को जमाबन्दी में कमाण्ड दर्ज करवाने का हकदार नही है, इस तनकी का निर्णय भी खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी नं0 05..:– आया की वादीगण की खातेदारी भूमि चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प.नं. 18/298 में स्थित सिंचित भूमि की सिंचाई के लिए प.नं. 19/297 किला नं. 5–6–15–16–25 में सिंचाई विभाग द्वारा खाला स्वीकृत नही होने से वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है? –प्रतिवादी 3

तनकी नं0 06............ आया की वादीगण की खातेदारी भूमि चक 18 एलजीडब्ल्यू (बी) प. नं. 18/298 में स्थित सिंचित भूमि की सिंचाई के लिए प.नं. 19/298 किला नं. 01 ता 05 में पत्थर लाईन पर सिंचाई विभाग द्वारा नियमानुसार खाला स्वीकृत नही होने से वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है? –प्रतिवादी 3

इन दोनो तनकीयातो में समानता होने से व दोनो तनकीयातो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। इन दोनो तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 03 पर है। वादीगण अपने वाद–पत्र में कही भी यह साबित नही कर पाये है कि प0नं0 19/297 के किला नं0 05–06–15–16–25 में सिंचाई विभाग द्वारा कोई खाला स्वीकृत हो तथा तनकी नं0 01 ता 04 व 08 ता 10 का निर्णय खिलाफ वादी किया जा चुका है, इसलिए इन दोनो तनकीयात का निर्णय भी बहक प्रतिवादी नं0 03 किया जाता है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन के अनुसार वादीगण तनकी नं0 01 ता 04 व 08 ता 10 को साबित नही कर पाये है तथा रकबा के कमाण्ड/अनकमाण्ड व खाला को स्वीकृत करने व निरस्त करने का अधिकार सिंचाई विभाग को है। इसलिए वाद वादीगण साबित न होने से व आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादीगण आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो, फैसला खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–,भरत जयप्रकाश मीना आई ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1 मोहनलाल पुत्र श्री रामरख जाति जाट बिश्नोई निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

2 विजय कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान। –वादीगण

बनाम

1 श्री राजाराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

2 श्रीमान् तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

3 श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग गंगनहर, ओ एण्ड डी खण्ड –6, सीएडी विभाग सूरतगढ

– प्रतिवादीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र अर्तगत धारा 88, 92 ए 188 व 209, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 53 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री धनवीर सिह हून्दल व प्रतिवादी नं. 1 श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट व प्रतिवादी न 2 व 3 पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी आधारहीन होने से खारीज किया जाता है ।

नोज.,....x मुबलिग .... x बाबत ...... x .. खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह ...... x ... . फस्दों की पालना .... x .. आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29.12.2025 कों जारी की गई।

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.30 12:00:51 IST
Reason: SelfAttested